हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/1/25 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार हाजिर। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल की। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा के बाद पत्रावली दाखिल दफ्तर नजर में शामिल की। सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या
86 / 2020

दायर दिनांक
21.10.2020

आदेश दिनांक
08.12.2025

बउनवान

1. सिंगारसिंह पुत्र श्री करतारसिंह
2. अवतारसिंह पुत्र श्री करतारसिंह
3. नागरसिंह पुत्र श्री करतारसिंह
4. चरणसिंह पुत्र श्री करतारसिंह
6. जिदोबाई पुत्री श्री करतारसिंह
7. सुद्रा बाई पुत्री श्री करतारसिंह जातियान रायसिख निवासीयान सौरखा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. पालसिंह पुत्र तथाकथित करतारसिंह
2. श्रीमती जंगीरो बाई पुत्री तथाकथित करतारसिंह जाति रायसिख पत्नी श्री बलकार सिंह निवासी चांदमारी तहसील व थाना फाजलका जिला फिरोजपुर पंजाब।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. श्रीमान उपपंजियक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: अप्रार्थीगण

श्री गंगाराम पटेल –: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री शोभाराम चौधरी –: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमे मिन प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।

सहायक कलक्टर (का0द्रे0)
मुण्ड़ावर (खैरथल–तिजारा)

2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र मे मिन प्रार्थीगण ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगण का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी ख० नं० 513/0.13 है0, 667/0.11 है0, 702/0.78 है0, 779/512/0.17 है0, 797/668/0.09 है0, 803/677/0.04 है०, कुल किता 6 कुल रकबा 1.32 हैक०, वाके ग्राम सोरखा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी।
4. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन प्रार्थीगण के मृतक पिता करतारसिंह पुत्र श्री फूलसिंह को आंवटित हुयी थी और अलोटमेन्ट के बाद कब्जा उक्त विवादित आराजी पर करतारसिंह के साथ मिन प्रार्थीगण का संयुक्त परिवार के रूप में रहा है। राजस्व रिकोर्ड में उक्त विवादित आराजी मिन प्रार्थीगण के मृतक पिता करतारसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है, और मौके पर मिन प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है।
5. यह है कि उक्त विवादित आराजी बाबत राजस्व लगान मिन प्रार्थीगण के पिता करतारसिंह ने जमा कराकर खातेदारी प्राप्त की है, और विधुत कनैक्शन मिन प्रार्थीगण के पिता करतारसिंह के नाम दर्ज है, तथा वक्त अलोटमेन्ट से मिन प्रार्थीगण के पिता व मिन प्रार्थीगण काबिज है, काश्त कर रहे है, समय समय पर उक्त विवादित आराजी पर मिन प्रार्थीगण के पिता ने ऋण केडिट कार्ड वगैरा बैंक द्वारा लेता रहा है, और आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।
6. यह है कि उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है, ना कभी रहा है, और ना ही अप्रार्थी सं० 1 व 2 को उक्त विवादित आराजी पर कोई कानूनी हक हांसिल हो सकते है, और ना ही अप्रार्थी सं० 1 व 2 कभी गावं सोरखा कलां तहसील मुण्डावर में नहीं रहा ना कभी उक्त आराजी पर काबिज रहे ना कभी काश्त की ना ही अप्रार्थी सं० 1 व 2 का गांव सोरखा कलां तहसील मुण्डावर से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा लेकिन अप्रार्थी सं० 1 व 2 मुकदमें बाज आदमी है, और फर्जी करतारसिंह जो मिन प्रार्थीगण के पिता थे उसका फर्जी वारिश बनना चाहता है, फर्जी वारिश प्रमाण पत्र तैयार करके मिन प्रार्थीगण की उक्त विवादित आराजी को हडपना चाहता है। जबकि अप्रार्थी सं० 1 व 2 का उक्त विवादित आराजी से और मिन प्रार्थीगण के मृतक पिता करतारसिंह से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर फर्जी वारिश प्रमाण पत्र के आधार पर मिन प्रार्थीगण की आराजी को अपने नाम दर्ज

सहायक कलक्टर (फा०दे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

कराना चाहते है। मिन प्रार्थीगण की आराजी को हडपना चाहते है, जिसका कोई अधिकार अप्रार्थीगण को प्राप्त नहीं है।

7. यह है कि अप्रार्थी सं० 1 व 2 चालाक किस्म के लोग है. मुकदमें बाज व्यक्ति है, और कभी पंजाब में रहना बताते है, कभी गंगानगर में निवास बताते है, और मिन प्रार्थीगण के मृतक पिता करतारसिंह का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25 / 10 / 79 बनवाकर और फर्जी वारिश प्रमाण पत्र गंगानगर का फर्जी सरपंच द्वारा तैयार कराकर और तहसीलदार द्वारा मिलीभगत करके दिनांक 16 / 04 / 2009 को इंतकाल अप्रार्थी सं० 1 व 2 ने अपने पक्ष में कराने के आदेश जारी करा लिये। जिसकी अपील मिन प्रार्थीगण ने न्यायालय सम्भागीये आयुक्त जयपुर के की थी जहां भी उक्त इंतकाल दिनांक 16 / 04 / 2009 को सही मान लिया जबकि उक्त दोनो आदेश बाबत इंतकाल कानून और मौका के खिलाफ है। मिन प्रार्थीगण के अधिकारो के खिलाफ है, मिन प्रार्थीगण के खिलाफ बातिल व बेअसर प्रभाव शून्य है, जिनको मिन प्रार्थीगण प्रभाव शून्य घोषित कराने के अधिकारी है।

8. यह है कि अप्रार्थी सं० 1 व 2 ने मिन प्रार्थीगण के पिता करतारसिंह का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25 / 10 / 79 का बनवाया है, जबकि मिन प्रार्थीगण का पिता दिनांक 29 / 11 / 14 को फोत हुवा है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सोरखा कलां द्वारा जारी किया हुआ है। तथा ग्राम पंचायत सोरखा कलां द्वारा मिन प्रार्थीगण का वारिश प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है, तथा वक्त अलोटमेन्ट से मिन प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के मृतक पिता करतारसिंह काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। और आज भी मौके पर मिन प्रार्थीगण काबिज है।

9. यह है कि उक्त विवादित आराजी की बाबत मिन प्रार्थीगण के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है, अपने खातेदारी अधिकारो की रक्षार्थ प्रार्थना पत्र ईश्तकरारहक दुरुस्ती पेश करना लाजिम आया है। तथा अप्रार्थी सं० 1 व 2 का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है, और फर्जी दस्तावेज के आधार पर अगर अप्रार्थी सं० 1 व 2 के मनसुबे कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थीगण को अजहद क्षति होगी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है, इसलिये मिन प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी है।

10. यह है कि दिनांक 23 / 07 / 19 को न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय के बाद मिन प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं० 1 व 2 से उक्त आराजी बाबत दिनांक 16 / 04 / 2009 व 23 / 07 / 19 के निर्णय को निरस्त कराने बाबत कहा तो अप्रार्थी सं० 1 व 2 ने कहा कि आप इस आदेश की अपील वेन्यु बोर्ड में कर दे वहां पर हम राजीनामा करके

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

पेश कर देगें और लिखकर दे देगें की हमारा उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। लेकिन अब दिनांक 15/03/2020 को अप्रार्थी सं० 1 व 2 ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम लिखकर नहीं देगें हम जमीन अपने नाम कराकर बेचान करेगें बस यही तारीख बिनायदावी बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र ईश्तकरारहक दुरूस्ती बम्य हु० ई० दवामी पेश करना लाजिमी आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना पत्र हु० ई० दवामी पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताः फैसला प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि आराजी हाल ख० नं0 513/0.13 हैव0, 667/0.11 हैक0, 702/0.78 हैक0, 779/512/0.17 हैक0, 797/668/0.09 हैक०, 803/677/0.04 हैक०, कुल किता 6 कुल रकबा 1.32 हैक0, वाके ग्राम सोरखा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है, को अप्रार्थीगण दीगर जगह रहन बैय मुन्तकिल ना करे ना कोई राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थीगण सं० 3 व 4 से मिलकर अपने नाम का अंकन नहीं करावे। आदेश दिये जावें। हल्फनामा संलग्न है।

जवाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी स० 1 व 2 की और से निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह है कि पैरा स० 1 इतना स्वीकार है कि उपरोक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नही रखनी चाहीए।
2. यह है कि पैरा स० 2 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण ने नाकाबिल दस्तावेज व झूठा शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई आयद वो साबित नही है। काबिल खारीज है।
3. यह है कि पैरा स० 3 इस प्रकार स्वीकार है कि जिम्मन में वर्णीत आराजी वाके ग्राम सौरखा तह० मुण्डावर में स्थित है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नही है। आराजी किसी भी प्रकार से विवादित नही है।
4. यह है कि पैरा स० 4 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण ने जिम्मन हाजा में मिथ्या तथ्य अंकित किया है, जबकी वास्तविकता तो यह है कि आराजी हम अप्रार्थीगण के पिता करतारसिंह पुत्र फूलासिंह की आवंटित आराजी रही है तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम बख्तावरसिंह पुत्र सरमुखसिंह था, जो गिधोला दिल्ली से गांव सौरखा कलां में मजदूरी करने हेतु आया था तथा हम अप्रार्थीगण का पिता करतारसिंह को आराजी आंवटित होने पर आराजी में सिचाई का कोई साधन नही था, इसलिए हम अप्रार्थीगण का पिता खाने कमाने बाहर

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

चला गया तथा आराजी पर हम अप्रार्थीगण काबिज काश्त रहे है, लेकिन प्रार्थीगण का पिता बख्तावर के स्थान पर करतारसिंह बन गया तथा हम प्रतिवादीगण के पिता करतारसिंह के फौत होने पर प्रार्थीगण ने हम प्रतिवादीगण के पिता की आराजी में राजस्व कर्मचारियों से साजबाज होकर अपने नाम इन्तकाल दर्ज कराने का प्रयास करने लगे, जिसकी जानकारी हम अप्रार्थीगण को होने पर हम अप्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर के समक्ष दिनांक 5/9/2008 को विरास्त इन्तकाल दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस प्रार्थना पत्र का निर्णय श्रीमान तहसीलदार महोदय, ने दिनांक 16/4/2009 को कर, मृतक करतारसिंह की विरास्त इन्तकाल हम अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये, जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा सम्भागीय आयुक्त के की गयी जो अपील खारीज हो गयी, जिस सम्भागीय आयुक्त के निर्णय की अपील वर्तमान में रेवेन्यू बोड में विचाराधीन है। जिससे साफ है कि वाद में वर्णीत आराजी से प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का पिता करतारसिंह गेर वास्ता व गैर काबिज है तथा प्रार्थीगण ने जिम्मन हाजा में मिथ्या कथन दर्ज किया है।

5. यह है कि पैरा स० 5 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। जब आराजी मुतनाजा से प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का पिता गैर वास्ता व गैर वास्ता काबिज रहा है, तो लगान जमा कराने व विद्युत कनैकशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है तथा आराजी हम अप्रार्थीगण के पिता आवंटित आराजी रही है. जिस पर हम अप्रार्थीगण का पिता अपने जीवनकाल में काबिज रहकर काश्त करता रहा है तथा श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर द्वारा हम अप्रार्थीगण के नाम मृतक करतारसिह की विरास्त इन्तकाल दर्ज करने के आदेश जारी किये हुये है. जिसकी अपील माननीय रेवेन्यू बोर्ड में अपील विचाराधीन है। इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर काबिल खारीज है।
6. यह है कि अर्जी दावा का जिम्मन न० 6 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। आराजी से प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का पिता गैर वास्ता व गैर काबिज है तथा आराजी हम अप्रार्थीगण के पिता की आराजी रही है तथा हम प्रतिवादीगण ने श्रीमान श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर के समक्ष दिनांक 5/9/2008 को विरास्त इन्तकाल दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस प्रार्थना पत्र का निर्णय श्रीमान तहसीलदार महोदय, ने दिनांक 16/4/2009 को कर, मृतक करतारसिंह की विरास्त इन्तकाल हम प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये, जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा सम्भागीय आयुक्त के की गयी जो अपील खारीज हो गयी, जिस सम्भागीय आयुक्त के निर्णय की अपील

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्ड़ावर (खैरथल-तिजारा)

वर्तमान में रेवेन्यू बोड में विचाराधीन है। जिससे साफ है कि वाद में वर्णीत आराजी से वादीगण व प्रार्थीगण का पिता गेर वास्ता व गैर काबिज है तथा प्रार्थीगण ने जिम्मन हाजा में मिथ्या कथन दर्ज किया हे तथा हम प्रतिवादीगण द्वारा कोई फर्जी वारिस प्रमाण पत्र नही बनवाया है. लेकिन प्रार्थीगण बेईमान प्रवृति के व्यक्ति है, जो मिलते हुये नाम का बेजा फायदा उठाकर, हम प्रतिवादीगण की आराजी को हडपने की नियत से उक्त दावा पेश किया है।

7. यह है कि पैरा स० 7 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। हम अप्रार्थी स० 1 व 2 शान्तिप्रिय आदमी है, जो कानून कायदे में विश्वास रखते है, तथा हम अप्रार्थीगण के पिता का नाम करतारसिंह रहा है तथा हम अप्रार्थीगण द्वारा अपने मृतक पिता का सही मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कराया हे तथा श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर द्वारा बाद जांच ही हम अप्रार्थीगण के नाम विरास्त इन्तकाल दर्ज करने के आदेश जारी किये है, तथा प्रार्थीगण आराजी से गैर वास्ता व गेर काबिज हे तथा इन्तकाल नियमानुसार दर्ज हुआ है, जो किसी भी प्रकार से बातिल व बेअसर नही है तथा प्रार्थीगण जब आराजी से गेर वास्ता व गैर काबिज है तो प्रार्थीगण के कोई अधिकारों पर कुठाराघात नही होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर काबिल खारीज है।
8. यह है कि पैरा स० 8 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण ने जिम्मन हाजा में मिथ्या तथ्या दर्ज किया है, जबकी हम अप्रार्थीगण के अपने पिता का सही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराया हे तथा हम अप्रार्थीगण ने अपने पिता की विरास्त का इन्तकाल दर्ज करवाने की कार्यवाही नियमानुसार की है तथा तहसीलदार मुण्डावर द्वारा बाद जांच इन्तकाल दर्ज करने के आदेश सही दर्ज किये है, तथा प्रार्थीगण आराजी मुतनाजा से गैर वास्ता व गैर काबिज है तथा गैर वास्ता व गैर काबिज व्यक्ति को वाद लाने का कोई हक नही है। इसलिए वाद वादी चलने योग्य नही होकर काबिल खारीज है।
9. यह है कि पैरा स० 9 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज है तथा गैर वास्ता व गैर काबिज के कोई हक व अधिकार कानून द्वारा रक्षित नही है तथा प्रार्थीगण को कोई नापूर्ती होने वाली क्षति कारित नही होती है इसलिए प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से हम अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है।
10. यह है कि पैरा स० 10 जिस पकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण ने कथित दिनांक की कहानी मिथ्या व मनघंडत दर्ज की है, जब दिनांक 23 / 7 / 2019 को संभागीय आयुक्त द्वारा प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

की अपील को खारीज फरमा दिया गया तो प्रार्थीगण द्वारा हम अप्रार्थीगण को कथित दिनांक के निर्णय को निरस्त करवाने की कहने व हम अप्रार्थीगण द्वारा राजीनामा करने की कहने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, आराजी हम अप्रार्थीगण की आराजी रही है, जिस आराजी बाबत प्रार्थीगण द्वारा पूर्व से अपील पेश कर रखी है, इसलिए प्रार्थीगण को कथित दिनांक को कोई बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होने का सवाल ही पैदा नही होता है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री गंगाराम पटेल की संक्षिप्त बहस :–

1. वादपत्र व प्रार्थना पत्र के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 513, 667, 702, 779 / 512, 797 / 668, 803 / 677 कुल रकबा 1.32 हैक्टेयर ग्राम सौरखा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर, प्रार्थीगण के मृतक पिता करतारसिंह पुत्र फूलसिंह को अलॉट हुई थी, जिससे प्रार्थीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में शुरू से काबिज–कास्त हैं।
2. अलॉटमेंट के पश्चात से प्रार्थी के पिता तथा प्रार्थीगण द्वारा ही राजस्व लगान जमा कराया गया है, विद्युत कनेक्शन भी करतारसिंह के नाम है तथा कृषि ऋण, के.सी.सी. आदि भी उसी आधार पर लिए गये हैं, जिससे प्रार्थीगण का कब्जा व खातेदारी अधिकार prima facie सिद्ध होता है।
3. प्रार्थी के पिता करतारसिंह की वास्तविक मृत्यु दिनांक 29.11.2014 को हुई, जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत सौरखा कलां द्वारा जारी है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 ने किसी अन्य करतारसिंह के नाम से दिनांक 25.10.1979 का फर्जी मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं गंगानगर के फर्जी वारिस प्रमाण–पत्र के आधार पर तहसीलदार मुण्डावर से दिनांक 16.04.2009 को विरासत इंतकाल अपने नाम दर्ज करा लिया, जो कि धोखाधड़ीपूर्ण, कानून व मौके के प्रतिकूल है।
4. उक्त इंतकाल के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा दायर अपील सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा दिनांक 23.07.2019 को तकनीकी आधारों पर खारिज कर दी गई, परन्तु धोखाधड़ी के गंभीर प्रश्न तथा वास्तविक वारिसों के अधिकार सुरक्षित हैं और वाद वर्तमान में शीर्षक विवाद के निस्तारण हेतु लंबित है।
5. अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 ग्राम सौरखा कलां के मूल निवासी नहीं हैं, न कभी मौके पर काबिज रहे, न ही काश्तकार रहेय वे केवल नाम की समानता का अनुचित फायदा उठाकर प्रार्थीगण की पैतृक आराजी को हड़पना चाहते हैं

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

तथा अब उक्त भूमि को अपने नाम से विक्रय/मुन्तकिल करने के लिए प्रयासरत हैं।

6. यदि ताः फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी न किया गया तो अप्रार्थीगण विवादित भूमि को तृतीय पक्ष के नाम विक्रय/गिरवी/बंधक इत्यादि कर देंगे, जिससे प्रार्थीगण को अजहद व असुधारणीय क्षति होगी और वाद का उद्देश्य ही निष्फल हो जायेगा। अतः धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों तत्व - prima facie केस, संतुलन सुविधा तथा अपूरणीय क्षति – प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अप्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री शोभाराम चौधरी की संक्षिप्त बहस :-

1. प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र व प्रार्थना पत्र में वर्णित अधिकांश तथ्य मिथ्या, मनगढ़ंत व नाकाबिल–ए–कबूल हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण के पिता करतारसिंह पुत्र फूलसिंह को ही आवंटित हुई थी, तथा उन्हीं के वारिस के रूप में हम अप्रार्थीगण काबिज–कास्त रहे हैं।
2. प्रार्थीगण का पिता बख्तावरसिंह पुत्र सरमुखसिंह है, जो गिधोला, दिल्ली से मजदूरी करने के लिए सौरखा कलां आया था, वह किसी प्रकार से भी आवंटित खातेदार नहीं है। प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर हमारे पिता करतारसिंह के स्थान पर अपने पक्ष में गलत इन्द्राज करवाने का प्रयास किया, जिसकी जानकारी होने पर हमने तहसीलदार, मुण्डावर के समक्ष दिनांक 05.09.2008 को विरासत इन्तकाल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया।
3. तहसीलदार महोदय मुण्डावर द्वारा समुचित जांच के बाद दिनांक 16.04. 2009 को मृतक करतारसिंह की विरासत इन्तकाल हमारे (अप्रार्थीगण) नाम दर्ज करने के आदेश जारी किये गये, जिनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा दायर अपील सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा दिनांक 23.07.2019 को खारिज की जा चुकी है तथा अब उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी ने ही राजस्व बोर्ड में अपील लंबित बता रखी है।
4. जब तहसीलदार व सम्भागीय आयुक्त दोनों स्तर पर हमारे पक्ष में आदेश हो चुके हैं तथा अपील स्वयं प्रार्थीगण की ओर से लंबित है, तब वर्तमान वाद व प्रार्थना पत्र महज दबाव बनाने की मंशा से दायर किया गया हैय प्रार्थीगण विवादित आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज हैं, अतः उनके पक्ष में prima facie केस नहीं बनता।
5. हमने अपने पिता का वास्तविक मृत्यु प्रमाण–पत्र ही प्रस्तुत किया है, किसी प्रकार का फर्जी मृत्यु प्रमाण–पत्र या वारिस प्रमाण–पत्र बनवाने का आरोप कोरा व निराधार है।

सहायक कलक्टर (फास्ट्रेक)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

6. जब प्रार्थीगण भूमि पर कभी काबिज ही नहीं रहे तो तथाकथित अपूरणीय क्षति का प्रश्न नहीं उठता, बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा से हमारे वैध अधिकारों का अनावश्यक संकुचन होगा। अतः प्रार्थना पत्र धारा 212 चलने योग्य नहीं होकर हर्जे–खर्चे सहित खारिज किया जावे।

संक्षिप्त विवेचन –
वाद में पक्षकारों के मध्य विवादित आराजी खसरा नं. 513, 667, 702, 779/512, 797/668, 803/677 कुल रकबा 1.32 हैक्टेयर, वाके ग्राम सौरखा कलां तहसील मुण्डावर के संबंध में खातेदारी अधिकार, वैधानिक आवंटन, वास्तविक वारिस तथा कब्जा को लेकर गंभीर एवं जटिल प्रश्न उत्पन्न हुए हैं।

प्रार्थी का यह मुख्य ग्रहणीय आधार है कि विवादित भूमि उसके पिता करतारसिंह पुत्र फूलसिंह को अलॉट हुई, अलॉटमेंट से लेकर आज तक प्रार्थीगण संयुक्त परिवार के रूप में काबिज–कास्त हैं, राजस्व लगान, विद्युत कनेक्शन, कृषि ऋण आदि सभी प्रार्थीगण के पिता के नाम रहे हैं तथा उनके वास्तविक मृत्यु प्रमाण–पत्र (दिनांक 29.11.2014) एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रार्थीगण को वारिस माना गया है। दूसरी ओर अप्रार्थीगण यह दावा करते हैं कि वे ही करतारसिंह पुत्र फूलसिंह के वास्तविक वारिस हैं, और प्रार्थी का पिता बख्तावरसिंह पुत्र सरमुखसिंह है जो बाहरी व्यक्ति थाय तथा तहसीलदार, मुण्डावर द्वारा 16.04.2009 का विरासत इन्तकाल आदेश और सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा 23.07.2019 का आदेश उनके पक्ष में है, जिसकी अपील राजस्व बोर्ड में लंबित है।

अतः वर्तमान स्तर पर यह अदालत शीर्षक/वास्तविक वारिस/धोखाधड़ी के प्रश्नों का सूक्ष्म परीक्षण करके कोई अंतिम निष्कर्ष निकालने की स्थिति में नहीं है। इस अवस्था में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए केवल यह देखना अपेक्षित है कि –
1. क्या वाद में prima facie विवादित अधिकार का प्रश्न है?
2. संतुलन सुविधा (Balance of convenience) किस पक्ष के पक्ष में है?
3. यदि आदेश न दिया जाए तो क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी?

रिकॉर्ड में प्रस्तुत दस्तावेजों (अलॉटमेंट, राजस्व रसीदें, मृत्यु व वारिस प्रमाण–पत्र, विरासत इन्तकाल व अपीलीय आदेश आदि) से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष विवादित भूमि पर अधिकार का दावा कर रहे हैं तथा विरासत संबंधी आदेशों के विरुद्ध उच्च फोरम पर कार्यवाही लंबित होने से विवाद अभी पूर्णतः

सहायक कलक्टर (फर्स्ट)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

sub judice है। इस प्रकार वाद वास्तविक वादग्रस्त अधिकार से संबंधित प्रतीत होता है और प्रार्थी के पक्ष में prima facie विवादित अधिकार का अस्तित्व नकारा नहीं जा सकता।

यदि इस अवस्था में अप्रार्थीगण को विवादित भूमि को विक्रय / गिरवी / दान / इत्यादि से तृतीय पक्ष के अधिकार में मुन्तकिल करने या राजस्व रिकॉर्ड में नवीन नामान्तरण कराने की छूट दी जाए तो भविष्योन्मुख तृतीय पक्ष अधिकार बन जाने से न केवल वाद की प्रकृति बदल जाएगी, अपितु अनावश्यक बहुल वाद–विवाद व जटिलता उत्पन्न होगी, जिसकी भरपाई धनदण्ड से भी संभव नहीं होगी। अतः अपूरणीय क्षति एवं बहुल वादों की आशंका प्रार्थी के पक्ष में है।

उधर अप्रार्थीगण के वर्तमान दावे व आदेशों का हित अस्थाई निषेधाज्ञा से अंतिम रूप से प्रभावित नहीं होता क्योंकि आदेश केवल ताः फैसला स्थिति यथावत रखने एवं तृतीय पक्ष हित सृजन से रोकने तक सीमित रहेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वाद के अन्तिम निर्णय में उनके अधिकारों पर पूर्ण विचार संभव रहेगा। अतः संतुलन सुविधा भी यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में ही है।

इन परिस्थितियों में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों तत्व प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान पाये जाते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचारार्थ आया। अभिलेख पर उपलब्ध, पक्षकारों के लिखित कथनों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सुनवाई में की गई बहस तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वाद में प्रार्थीगण के पक्ष में prima facie केस विद्यमान है, संतुलन सुविधा प्रार्थी के पक्ष में है तथा यदि अस्थाई निषेधाज्ञा न दी जाए तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार कर वाद के अन्तिम निस्तारण तक अप्रार्थीगणों को विवादित आराजी खसरा नं. 513 / 0.13 हैक्टेयर, 667 / 0.11 हैक्टेयर,

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

702 / 0.78 हैक्टेयर, 779 / 512 / 0.17 हैक्टेयर, 797 / 668 / 0.09 हैक्टेयर, 803 / 677 / 0.04 हैक्टेयर वाके ग्राम सौरखा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान पर राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

सहायक कलक्टर (फा०क्र०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)